न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/557

1. बजरंग लाल आत्मज रामनारायण जी जाति माली निवासी बंदा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. कल्याणी बाई पुत्री रामनारायण जी जाति माली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. भुवनेश पुत्र कल्याणी बाई जाति माली निवासी कोटा ।
   2/2. पंकज पुत्र कल्याणी बाई जाति माली निवासी कोटा ।
3. द्वारकी बाई पुत्री रामनारायण जाति माली (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. राधाकिशन पुत्र द्वारकी बाई माली निवासी देवली मांझी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   3/2. रामेश्वर पुत्र द्वारकी बाई माली निवासी देवली मांझी तहसील सांगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मूर्ति शेषधरनाथ जी विराजमान फतेहगढी कोटा जरिये महन्त देवेन्द्रदास चेला स्व0 महन्त रामचरणदास महन्त फतेहगढी कोटा जिला कोटा ।
2. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 12/617

मूर्ति शेषधरनाथ जी विराजमान फतेहगढी कोटा जरिये महन्त देवेन्द्रदास चेला स्व0 महन्त रामचरणदास महन्त फतेहगढी कोटा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।
3. बजरंग लाल आत्मज रामनारायण जी जाति माली निवासी बंदा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. कल्याणी बाई पुत्री रामनारायण जी पत्नी बजरंग लाल जाति माली निवीस एम0बी0एस0 अस्पताल के पास कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. द्वारकी बाई पुत्री रामनारायण पत्नी श्री बाबूलाल जाति माली निवासी ग्राम देवली मांझी तहसील सांगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपील संख्या 12/557 में अपीलान्ट की ओर से एवं अपील संख्या 12/617 में रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश चन्द शर्मा, अभिभाषक, अपील संख्या 12/557 में रेस्पोडेन्ट की ओर से एवं अपील संख्या 12/617 में अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2012 के विरूद्व पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय की होने से तथा समान पक्षकार होने तथा समान प्रकृति की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी मूर्ति शेषधर नाथ जी ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 180 एवं 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी मूर्ति शेषधरनाथ जी जिन्हें शिव भगवान भी कहा जाता है के खाते की भूमि वाके ग्राम बंदा तहसील सांगोद जिला कोटा में 02 किता की 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । यह भूमि वादी की है और वादी शास्वत नाबालिग है जो अपनी भूमि को किसी से भी काश्त करवा सकता है परन्तु उक्त भूमि किसी भी व्यक्ति के खाते दर्ज नहीं हो सकती । प्रतिवादी क्रम 03 से 05 इस भूमि पर इयर टू इयर टीनेन्ट हैं जिसकी मियाद समाप्त हो चुकी है । कुछ दिनों पूर्व पता चला है कि उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों ने मिलकर प्रतिवादीगण क्रम 03 से 05 ने अपने खाते बंधवा ली है जबकि प्रतिवादी क्रम 03 से 05 को कोई भी अधिकार किसी प्रकार से उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त नहीं है । वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के खुदकाश्त में दर्ज है । वादी को तथाकथित गलत इन्द्राज के सम्बन्ध में दुरूस्ती का अधिकार भी प्राप्त है ।

4. अतः वादी का वाद स्वीकार कर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी क्रम 03 से 05 का नाम हटाया जाकर वादी मूर्ति का नाम जरिये व्यवस्थापक एवं संरक्षक दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 03 से 05 को उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा वादी के पक्ष में 15 गुणा लगान बतौर पेनेल्टी दिलायी जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2012 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी मूर्ति शेषधरनाथ जी महाराज फतेहगढी कोटा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने तथ उक्त भूमि को तहसीलदार अपने कब्जे में लेकर

उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा आराजी पर नियामानुसार व्यवस्था कराने के आदेश पारित किये है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2012 से व्यथित होकर वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 26.09.2012 निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपील संख्या 12/557 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 01 के निर्णय में विवादित आराजी को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मूर्ति माफी की और माफी के रिज्यूम होने पर मूर्ति के खातेदारी की मानने में त्रुटि की है जबकि जागीर कानून 1952 (संवत् 2009) के पहले से ही यानि संवत् 2007 से 2010 की जमाबन्दी में वादग्रसत आराजी न तो रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मूर्ति की, माफी में थी न ही मूर्ति की खातेदारी में थी इसके विपरीत अपीलान्ट व उसक पिता की खातेदारी की भूमि थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने जागीर कानून लागू होने तथा जागीर रिज्यूम होने के समय विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट मूर्ति की माफी या खातेदारी में थी का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है । इसके अलावा प्रथम बन्दोबन्द में बिना अधिकार के मूर्ति का नाम दर्ज कर दिया था जिसका बन्दोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था । बन्दोबस्त के बाद आज तक के राजस्व रिकॉर्ड में कभी भी विवादित भूमि मूर्ति की खातेदारी में नहीं रही है । अधीनस्थ न्यायालय ने जिला कलक्टर कोटा द्वारा तहसील लाडपुरा की भूमि के सम्बन्ध में अन्य पत्रावली में दिये गये निर्णय को अपीलान्ट की भूमि के सम्बन्ध में मानने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेवेन्यू सकेट्री के आदेश के आधार पर भूमि रेस्पोडेन्ट मूर्ति की माफी की मानने में भारी त्रुटि की है जबकि रेवेन्यू सेकेट्री का आदेश किस कानून के अन्तर्गत था तथा किसी भूमि के सम्बन्ध में था प्रमाणित नहीं है । सीलिंग कानून के अन्तर्गत चली कार्यवाही के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय देने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । सीलिंग कानून के अन्तर्गत न तो अपीलान्ट पक्षकार थे और न ही सीलिंग कानून में खातेदारी का निर्णय हो सकता है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है दावा मेन्टेनेबल नहीं था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री किया है जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2012 निरस्त फ़रमाया जावे ।

9. अपील संख्या 12/617 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मंदिर मूर्ति की है । गलत रूप से प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई थी इस कारण मूर्ति मंदिर ने हक घोषणा का दावा पेश किया था । प्रदर्श– 2 में वादग्रस्त आराजी मंदिर के नाम दर्ज है । खसरा गिरदावरी संवत् 2005 से 2010 में भी शिव भागवान खुद काश्त दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने हक घोषणा की सहायता प्रदान की है परन्तु दावा आंशिक रूप से डिक्री कर तहसीलदार को आराजी पर कब्जा लेकर काश्त की व्यवस्था के आदेश दिये हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं । रेस्पोडेन्ट

वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा बताते हैं परन्तु मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की आराजी पर यदि किस का कब्जा होता है तो मूर्ति मंदिर की ओर से ही माना जावेगा, न ही मूर्ति मंदिर के हितों के विपरीत क्योंकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग होने से स्वयं काश्त नहीं कर सकते । आराजी मूर्ति मंदिर शेषधरनाथ जी के नाम से है जिसे शिव भगवान भी कहा जाता है । अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार सही तरीके से घोषित किया है परन्तु तहसीलदार को काश्त की व्यवस्था का जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट को संभलायी जावे । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपील संख्या 12/557 खारिज की जावे । उन्होंने अपने पक्ष में समर्थन में आरआरडी 2000 पेज 109, आरआरडी 1993 पेज 319, माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय पृथ्वीराज बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आरआरडी 1994 पेज 01 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । मूर्ति मंदिर की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में यह दावा बाबत् हक घोषणा का वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 प्रदर्श– 1, नकल जमाबदी प्रदर्श– 2 संवत् 2013 से 2032, नोटिस की प्रति प्रदर्श– 3, डाक विभाग की रसीद प्रदर्श– 4 पेश की हैं। पत्रावली पर एक 06 जनवरी, 1954 के रेवेन्यू सेक्रेट्री के आदेश की प्रति प्रदर्श– 12 संलग्न है जिसमें ग्राम बंदा तहसील कनवास में 714 बीघा के बाबत् महन्त चारणदास शास्त्री के पक्ष में मंहत प्रयागदास के स्थान पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये हैं । पत्रावली पर आदेश प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग दिनांक 09.03.1984 प्रदर्श– 15 की प्रति भी संलग्न है । प्रदर्श– 5–6 सेटलमेंट विभाग की नकलें है । प्रदर्श – 13 नकल जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 है, प्रदर्श– 14 नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति है ।

11. इसके अलावा पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2007 से 2010 प्रदर्श –डी–2 संलग्न है, नकल जमाबन्दी संवत् 2007 से 2010 प्रदर्श– डी –3 संलग्न है ।

12. पत्रावली में बयान देवेन्द्र दास पीडब्ल्यू–1, रामप्रताप पीडब्ल्यू–2 कराये गये हैं ।

13. वादी ने यह दावा ग्राम बंदा तहसील सांगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 99 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 137 रकबा 11 बीघा 05 बिस्वा कुल 02 किता की 14 बीघा 11 बिस्वा भूमि के लिए हक घोषणा का दावा पेश किया है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 2 संलग्न है उसमें वादग्रस्त आराजी के लिए संवत् 2013 से 2032 में उपभोक्ता का नाम श्री शिव भगवान मंदिर और कृषक के नाम में रामनारायण वल्द बाला माली दर्ज है ।

14. अपीलान्ट प्रतिवादी की आपत्ति यह है कि यह आराजी मंदिर की खुदकाश्त की आराजी नहीं है । इस क्रम में उनके द्वारा पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2013 से 2032 की ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया जिसमें मंदिर की खुदकाश्त की आराजी दर्ज है जो कुल 45 किता की 369 बीघा कुछ बिस्वा है। इस आराजी में वादग्रस्त आराजी शामिल नहीं है । अपीलान्ट प्रतिवादी के विद्वान अभिभाषक की यह भी आपत्ति है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उप जिलाधीश एवं सीलिंग अधिकारी के निर्णय प्रदर्श– 15 का जिक्र किया है जिसमें अपीलान्ट पक्षकार नहीं थे और प्रदर्श– 12 जो रेवेन्यू सक्रेट्री का पत्र है उसमें खसरा नम्बरान

अंकित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पेश किये गये समस्त राजस्व रिकॉर्ड व खसरा नम्बरान जो कि वादग्रस्त है उनका विश्लेषण नहीं किया है । प्रकरण के निस्तारण के लिए यह आवश्यक है कि जो राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियॉ संलग्न की गई हैं उसमें दर्ज खसरा नम्बरान का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर विश्लेषण कर यह निर्धारित किया जावे कि मूर्ति मंदिर के खुदकाश्त एवं खाते की आराजी के खसरा नम्बर क्या हैं व आराजी कितनी है और वादग्रस्त आराजी तद्नुसार मूर्ति मंदिर के खाते एवं खुदकाश्त की है अथवा नहीं ? प्रस्तुत किये गये समस्त राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त ही इस प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है ।

15. इन तथ्यों के आधार पर हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को नये सिरे से पेश किये गये राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 12/557 एवं 12/617 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का विधिक प्रावधानों के तहत अवलोकन एवं विश्लेषण कर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा